excluding Goa, Punjab, Chandigarh, Delhi and Pondicherry. These additional blocks include new DPAP/DDP blocks. Modified Area Development Approach (MADA) blocks having a larger concentration of tribals and the flood prone areas of the country.

Legislation for agricultural and construction workers

*249. SHRI N. GIRI PRASAD:
SHRI ANANTRAY
DEVSHANKER DAVE:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether there is a proposal before Government for enacting a Central Law for agricultural and construction workers;

(b) if so,what is the stage of consideration of this proposal;

(c) whether State Governments are being consulted in this regard;

(d) whether Government have completed its study of the laws of Gujarat, Rajasthan and Maharashtra in this regard;

(e) what is the response of Government in this regard;

(f) whether the State Governments have protested against a Central Law; and

(g) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI P.A. SANGMA): (a) and (b) Proposals for Central legislations for agricultural and construction workers are at an advanced stage of consideration.

(c) to (e) Wide ranging consultations have been held with the State Governments to evolve a consensus and while formulating the proposals, due note is being taken of the State legislations, wherever they are existing.

(f) and (g) While there has been some difference of opinion on the Central legislation for agricultural workers among the States mainly on account of widely varying agro-climatic and socio-economic conditions and administrative systems/practices, there is a general consensus in favour of taking up this legislation. It is proposed to build in sufficient flexibility to suit different local requirements and needs.

स्वैच्छिक संगठनों में श्रमिकों का शोषण

*250. श्री कामेश्वर पासवान: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों में श्रमिकों को शोषण ज्यादा हो रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये संगठन अपने कर्मचारियों को निर्धारित वेतनमान नहीं देते हैं और जब चाहे उन्हें निकाल भी देते हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार रखती है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्वच्छ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माणरत सुलभ इंटरनेशनल, गांधी मैदान, पटना अपने कर्मचारियों को बड़े शहरों में भी मात्र 600 रुपये प्रति माह वेतन देता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) से (ग) ऐसी सूचना मिली है कि कुछ स्वयंसेवी संगठन अपने कर्मचारियों के लिए नियमित वेतनमान नहीं रखते हैं। जब कभी कानून के उल्लंघन के बारे में सूचित किया जाता है, अपराधियों के विरुद्ध कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

(घ) और (ङ) बिहार सरकार से सूचना मिली है कि सुलभ इंटरनेशनल, पटना के कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी की अदायगी न किये जाने के बारे में वहां कोई विवाद नहीं रहा है।

पर्यावरण और वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए योजना आवंटन

*251. श्री शंकर दयाल सिंह: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आठवीं तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण एवं वृक्षारोपण हेतु कोई विशेष निधियां आवंटित की गई हैं/किए जाने का विचार है

(ख) यदि हां, तो उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इसके लिये राज्यों को केन्द्र की ओर से योजना आयोग द्वारा कोई विशेष कार्यक्रम भेजे गए हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग): (क) और (ख) वानिकी, वन्यजीवन, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के तहत आठवीं